



# CARA

Central Adoption Resource Authority



## *Annual Report* 2014-2015

Ministry of Women & Child Development  
Government of India  
[www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in)



---

# वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015



C A R A

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
भारत सरकार

---



## विषय सूची

पृष्ठ 1	प्रस्तावना	
	गतिविधियां	पृष्ठ 4
पृष्ठ 10	आंकड़ा आधार	
	वित्तीय विवरण	पृष्ठ 12







मेनका संजय गांधी

*Maneka Sanjay Gandhi*

मंत्री  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार  
नई दिल्ली-110001

MINISTER  
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT  
GOVERNMENT OF INDIA  
NEW DELHI-110001

नई दिल्ली  
13 मई, 2016

## संदेश


मुझे केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। मैं यह जानती हूँ कि माता-पिता की देखरेख के बिना जीवन यापन कर रहे बच्चों की संख्या जो बाल देखरेख संस्थाओं में दिन काट रहे हैं, काफी है और ऐसे बच्चों का पालन-पोषण एवं देखरेख करने वाले परिवारों में स्थापन करने की जरूरत है। देश में दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने और बाल देखरेख में उनके प्रवास को कम से कम करने में कारा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कारा को विभिन्न पक्षकारों के लिए अपनी क्षमता से निर्मित गतिविधियों को जारी रखना होगा ताकि सभी दत्तक-ग्रहण बहुत ही पेशेवर और नीतिगत तरीके से किए जाएं। केयरिंग्स जो दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग है, को अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जाए ताकि प्रत्येक बच्चे की दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जा सके।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगी कि देश में वैधानिक दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने और प्राधिकारियों तथा मान्यता प्राप्त अभिकरणों को शामिल किए बिना किए जा रहे अनाधिकारिक दत्तक-ग्रहणों को रोकने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार अभियान शुरू किए जाने की जरूरत है।

मैंने यह देखा है कि दत्तक-ग्रहण अभिकरणों में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं और इस संबंध में इस मामले को जिला बाल संरक्षण एकक एवं राज्य सरकार को गंभीरता के साथ लेना होगा।

मैं आशा करती हूँ कि कारा अपने प्रयास जारी रखेगा ताकि सभी अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों का परिवारों में पुनर्वास किया जा सके।

  
(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

## परिवर्णी शब्द

एएफएए	:	अधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण
एआरसी	:	दत्तक-ग्रहण अनुशांसा समिति
सीए	:	केन्द्रीय प्राधिकरण (अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के संबंध में हेग कन्वेंशन के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में नामोदिष्टित सरकारी विभाग)
सीएआरए	:	केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
सीएआरआई	:	बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली
एनजीएस	:	
सीडब्लूसी	:	बालक कल्याण समिति
आईसीपीएस	:	समेकित बाल संरक्षण स्कीम
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्राद्योगिकी
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण
जे.जे. एक्ट	:	किशोर न्याय अधिनियम
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
पीएपी	:	भावी दत्तक माता-पिता
आरआईपीए	:	मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण
एसएए	:	विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र





20 फरवरी, 2015 को डी.आर.डी.ओ. भयन, नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राष्ट्रीय बैठक में श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

### 1.1 केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण हेतु नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसे देश के भीतर तथा अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण का प्रबोधन एवं विनियम करने का अधिदेश प्राप्त है। कारा वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन के उपबंधों के अनुसार अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण पर कार्यवाही करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामोद्वेषित है। कारा अपने संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के माध्यम से मुख्यतः अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण संबंधी कार्यवाही करता है।

इस स्वायत्त निकाय का पंजीकरण वर्ष 1999 में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत कराया गया था तथा इसका अभिशासन इसके संघ के ज्ञापन एवं सेवा उप नियमों और यथा प्रयोज्य सरकार के अन्य नियमों द्वारा होता है। इसकी एक प्रबंधन समिति है जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों सदस्य शामिल हैं। इस समय, इसके संस्वीकृत नियमित कर्मचारियों की संख्या 27 है।

कारा का विजन देश में प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे के लिए पालन-पोषण एवं देखरेख करने वाले परिवार की तलाश करना है। इसका मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक-ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक-ग्रहण के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के कार्यकरण में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक-ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक-ग्रहण के इच्छुक माता-पिता को सुविधाएं प्रदान करना है। कारा का मुख्य उद्देश्य यथासंभव अधिक से अधिक ऐसे भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण को सुलभ बनाना और यह



20 फरवरी, 2015 को डी.आर.डी.ओ. भयन, नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राष्ट्रीय बैठक में श्री विनय शील ओदरॉय, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सुनिश्चित करना है कि भावी दत्तक माता-पिता को अनावश्यक दुःसह उपेक्षाओं को सहन किए बिना, अनुचित विलंब और अवैध मांग के बिना दत्तक-ग्रहण के लिए दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चे उपलब्ध रहें। कारा से दत्तक-ग्रहण हेतु पात्र बच्चों के बारे में सूचनाओं के लिए निकासी गृह के रूप में कार्य करना; जन जागरूकता अभियान विकसित करना; अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना; मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध अभिकरणों के कार्य का प्रबोधन एवं उनका विनियम करना; अन्य केंद्रीय प्राधिकरणों तथा विदेशी मिशनों से संपर्क करना और दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों का दत्तक-ग्रहण अनुवर्तन एवं देखरेख सुनिश्चित करना अपेक्षित है। इसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी, दत्तक-ग्रहण प्रणाली में दोनों स्तरों, दत्तक-ग्रहण से पहले तथा दत्तक-ग्रहण के दौरान विलंब होता है जिसको पक्षकारों के साथ सतत एवं नियमित अंतःक्षेपों से दूर किया जा रहा है

## 1.2 राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)

'बालकों के दत्तक-ग्रहण के अभिशासी दिशानिर्देश - 2011' के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार से राज्य में कारा के साथ समन्वय से दत्तक-ग्रहण के कार्य तथा गैर-संस्थागत देखरेख के कार्य का समन्वय करने, उसका प्रबोधन करने तथा उन्हें विकसित करने के लिए राज्य में नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिए राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) की स्थापना करना अपेक्षित है। जहां तक देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने का संबंध है, इसे यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रवेश दिए गए सभी बच्चों एवं भावी दत्तक माता-पिता के पंजीकरण सहित सभी दत्तक-ग्रहण की कार्रवाई केयरिंग्स में ऑनलाइन की जाएं। सारा को जागरूकता के प्रयास करने होते हैं एवं सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान चलाने होते हैं। विनियामक निकाय के रूप में, इसे कारा के दिशानिर्देशों में यथा उपबंधित दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण करने होते हैं। इसके अलावा, इसे मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण तथा विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के बीच संपर्कों का प्रबोधन करना होता है जबकि इसे ऐसे सभी बच्चों के, जो माता-पिता की देखरेख के बिना रह रहे हैं, गैर-संस्थानीकरण के लिए बाल देखरेख संस्था और मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण/विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के बीच संपर्कों को बढ़ावा देना होता है।

अभी तक, 22 राज्यों ने अपने संबंधित राज्यों में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) पहले से ही गठित कर लिए हैं। सारा को जमीनी स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन करने और विभिन्न स्तरों पर विलंब को रोकने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) के साथ समन्वय करना होता है।

## 1.3 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएसए)/मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण (आरआईपीए)

दत्तक-ग्रहण में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के स्थापन को सरल बनाने के उद्देश्य से, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 राज्य सरकार को देश के भीतर दत्तक-ग्रहण में बच्चों के स्थापन के लिए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएसए) के रूप में प्रत्येक जिले में अपनी एक या एक से अधिक देखरेख संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार देता है। प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की दत्तक-ग्रहण किए जाने वाले बच्चों, जैविक माता/माता-पिता और भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के लिए विशिष्ट भूमिका होती है। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को सामान्यतः समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है जो सरकार-सिविल समाज की भागीदारी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के साथ-साथ अन्य संवेदनशील बच्चों के लिए संरक्षणात्मक वातावरण बनाने पर उद्देशित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।

बच्चों के दत्तक-ग्रहण में स्थापन के लिए राज्य स्तर पर लगभग 412 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण कार्य कर रहे हैं और ऐसे अभिकरणों की सूची अनुलग्नक - क में दी गई है। 412 अभिकरण में से, 71 अभिकरणों को बच्चों को अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण में स्थापन कराने के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण (आरआईपीए) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की भूमिका में इसकी बच्चों के लिए भूमिका, इसकी देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होना तथा उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना; विशेष जरूरतों वाले बच्चों की विशेष देखरेख; भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक जरूरतें; शैक्षणिक जरूरतें; आराम एवं मनोरंजक गतिविधियां; सभी

प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं शोषण से संरक्षण; समाज की मुख्यधारा से जोड़ना; प्रत्यावर्तन एवं अनुवर्तन शामिल होते हैं। इसके अलावा, यह बच्चों के सुरक्षा उपायों का प्रबोधन करने सहित कारा के दिशानिर्देशों का अनुसरण करके उनका प्रत्यावर्तन एवं दत्तक-ग्रहण में उनका स्थापन करने के प्रयास करता है।

#### 1.4 प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एएफएए)/केंद्रीय प्राधिकरण (सीए)

कारा विदेशों में रह रहे भावी दत्तक माताओं-पिताओं जिनमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई), प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) एवं विदेशी शामिल हैं, के आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए विदेशी

दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करता है। भारतीय बच्चे के दत्तक-ग्रहण हेतु विदेशी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के इच्छुक विदेशी मान्यता प्राप्त अभिकरण अपने केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से प्राधिकार देने के लिए कारा को आवेदन करेगा। ये अभिकरण अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में कारवाई करने के लिए प्राप्तकर्ता देशों में मान्यता प्राप्त अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। कुछ देशों में, केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं क्योंकि प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एएफएए) के बजाय ये निकाय भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को कारा को अग्रेषित करते हैं। 31 देशों में लगभग 153 विदेशी अभिकरण/केंद्रीय प्राधिकरण हैं जिनका कारा के साथ व्यवहारिक संबंध हैं।



04 दिसम्बर, 2014 को हैदराबाद में एक दत्तक-ग्रहण एजेंसी का दौरा करते हुए श्री वीरेन्द्र मिश्रा, सचिव, कारा

## अध्याय 2



20 फरवरी, 2015 को डी.आर.जी.ओ. भवन, नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राष्ट्रीय बैठक में कारा के नए लोगो का अनावरण करती श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

### 2.1 केयरिंग्स

बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स), दत्तक-ग्रहण पर एक ई-गवर्नेंस पहल, का सरकार द्वारा फरवरी, 2011 में शुभारंभ किया गया था। यह वेब आधारित प्रबंधन और प्रबोधन प्रणाली पारदर्शी एवं अनुकूल दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। यह बच्चों एवं माता-पिता को देखरेख, सुविधा एवं सुलभता के सिद्धांतों पर आधारित अधिक बाल केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह त्वरित एवं निर्बाध दत्तक-ग्रहण सुकर बनाती है, दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों की

जवाबदेही में वृद्धि करती है, पक्षकारों का नेटवर्क तैयार करती है और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा का रखरखाव करती है।

केयरिंग्स से बच्चे एवं भावी दत्तक माता-पिता दोनों लाभान्वित होते हैं। दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चों और प्रतिच्छिन्न माता-पिता के आंकड़ा के आधार का उपयोग करके, देश में दत्तक-ग्रहण अभिकरणों में बच्चों तक पहुंचा जा सकता है और उनके शीघ्र पुनर्वास के लिए प्रतिच्छिन्न माता-पिता से मिलाया जा सकता है। केयरिंग्स एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जो भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तक-ग्रहण संबंधी सूचना, दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे, दत्तक-ग्रहण की पात्रता संबंधी सूचना देखना सुलभ बनाती है। इसमें उनके मामलों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी है।

### निष्कर्ष

क. केयरिंग्स पर दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण: यह मॉड्यूल देश के सभी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों से संबंधित और भावी दत्तक माता-पिता के बारे में प्रासंगिक सूचना दर्ज करने में सहायता करता है। बच्चों के प्रवेश से संबंधित आंकड़े और दत्तक-ग्रहण पश्च अनुवर्ती रिकार्ड, जब तक कि उन्हें




15 जनवरी, 2015 को केरल में केयरिंग्स पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए श्री वी.के. ताह, उप निदेशक, कारा

दत्तक-ग्रहण डिक्री नहीं मिल जाती है, दर्ज किया जाता है। 412 अभिकरणों में से, 380 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण पहले से ही ऑनलाइन पंजीकृत हैं।

अब कारा राज्य सरकारों की सहायता से सेवा प्रदाताओं के साथ व्यवहारिक सत्रों का नियमित आयोजन करता है ताकि उनके डैशबोर्ड आंकड़े वास्तविक आंकड़ों से मेल खाते हों और सभी बच्चों तक उनके पुनर्वास के लिए पहुंचा जा सके।

ख. घरेलू दत्तक-ग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता का ऑनलाइन पंजीकरण: सामान्यतः भारत में निवास करने वाले और भारतीय नागरिकता रखने वाले भावी

### केयरिंग्स पर पंजीकृत दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की वर्तमान स्थिति



दत्तक माता-पिता विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की सहायता से [www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in) पर अपनी पात्रता के बारे में जांच कर सकते हैं, दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया एवं अपेक्षाओं के बारे में जान सकते हैं, उपयुक्त दत्तक-ग्रहण अभिकरण खोज सकते हैं और अपने आपको पंजीकृत कर सकते हैं।

ग. अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता का ऑनलाइन पंजीकरण: अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को अपने प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों अथवा केंद्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करने की जरूरत होती है और ऐसी सुविधा केयरिंग्स पर तैयार की गई है। अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामले में, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही केयरिंग्स पर पंजीकरण कर सकते हैं।

घ. ऑनलाइन दत्तक पश्च अनुवर्तन: अब प्राप्तकर्ता देशों में प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएए)/केंद्रीय प्राधिकरणों (सीए) को दो वर्ष की अवधि तक स्थापन पश्च प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होती है। छ: स्थापन-पश्च रिपोर्टें, पहले वर्ष में चार और दूसरे वर्ष में दो रिपोर्टें अपेक्षित होती हैं। यह जनवरी, 2012 से नियत किया गया है। दत्तक पश्च अनुवर्तन को घरेलू दत्तक-ग्रहण के मामलों में भी सुसाध्य बनाया गया है।

### उपलब्धियां

यद्यपि उपलब्धियों की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती, वर्ष 2014-15 के दौरान हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- अब केयरिंग्स मॉड्यूल के माध्यम से लगभग 380 दत्तक-ग्रहण अभिकरण ऑनलाइन पंजीकृत हैं।
- बड़ी संख्या में भावी दत्तक माता-पिता ऑनलाइन पंजीकृत हैं।
- विशिष्ट जरूरतों वाले मॉड्यूल के माध्यम से विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों की शीघ्र खोज एवं उनका पुनर्वास।
- अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में ऑनलाइन दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया अनिवार्य।

## 2.2 प्रशिक्षण और विकास

कारा ने राज्य सरकारों एवं अन्य पक्षकारों की सहायता से अनेक राज्य अभिविन्धास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सामान्यतः इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रयोजन सभी पक्षकारों को दत्तक-ग्रहण कार्यक्रमों के बारे में पर्याप्त जानकारी, कौशल एवं अभिप्रेरण प्रदान करना और विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं दिशानिर्देशों में यथा प्रदत्त दत्तक-ग्रहण एवं संबंधित मामलों के बारे में नीतियों एवं प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें अद्यतन बनाना भी है। दत्तक-ग्रहण कार्यक्रमों में भागीदारी करने वाले दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के सदस्य, बाल कल्याण समितियों के सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आदि होते हैं और पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में स्थूल रूप से दत्तक-ग्रहण एवं गैर-संस्थागत देखरेख से संबंधित विधायी एवं नीतिगत मुद्दे और व्यवहारिक परिचालन संबंधी मुद्दे शामिल हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागियों से फीडबैक मांगे जाते हैं ताकि प्रशिक्षण की भावी जरूरतों एवं अन्य क्षेत्रीय जरूरतों का उचित रूप से मूल्यांकन किया जा सके।



गोवा में दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राज्य स्तरीय अभिविध्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री पीरेन्द्र मिश्रा, सचिव, कारा

कारा को माता-पिता की देखरेख के बिना रह रहे बच्चों के संरक्षण और वैकल्पिक परिवारों में उनके पुनर्वास से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े पक्षकारों का संवेदीकरण करने का अधिदेश प्राप्त है। शीघ्र पुनर्वास और पारिवारिक वातावरण में बच्चों के समेकन के लाभों के बारे में विभिन्न पक्षकारों का संवेदीकरण करने और केयरिंग्स (बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली), दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कारा द्वारा शुरू किया गया एक सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, पर आंकड़ों का अद्यतनीकरण करने के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षकारों के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सत संवर्धनात्मक प्रयासों

राज्य अभिविध्यास कार्यक्रम :

क्र.सं	राज्य का नाम	तारीख
1.	असम	25.05.2014
2.	नागालैंड	13.06.2014
3.	हिमाचल प्रदेश	28.06.2014
4.	पश्चिम बंगाल	29.10.2014 एवं 13.02.2015
5.	मिजोरम	20.11.2014
6.	बिहार	24.11.2014
7.	महाराष्ट्र	18-20.12.2014
8.	केरल	15.01.2015
9.	गोवा	13.02.2015

और कारा एवं दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के बीच वर्धित समन्वय के कारण बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार हुई है। दत्तक-ग्रहण के नए दिशानिर्देशों (2011) के बारे में दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के कार्यकर्ताओं और पक्षकारों का अभिविध्यास करने के उद्देश्य से, कारा ने अनेक प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रमों ने कारा को दत्तक-ग्रहण कार्यक्रमों के पक्षकारों की अपेक्षाओं का मानचित्रीकरण करने और ऐसे क्षेत्रों को, जहां विशेष अंतःक्षेपों की आवश्यकता है, अभिनिर्धारित करने में सक्षम बनाया है।



19 दिसम्बर, 2014 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित राज्य अभिविध्यास कार्यक्रम के दौरान श्री राजीव चयन, आयुवत्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, सारा अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों और प्रतिभागियों के साथ श्री पीरेन्द्र मिश्रा, सचिव, कारा

# दत्तक ग्रहण पर राष्ट्रीय सम्मेलन

20-21 फरवरी, 2015, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली

## NATIONAL MEET ON ADOPTION

20 - 21 February, 2015, DRDO Bhawan, New Delhi



20 फरवरी, 2015 को डी.आर.डी.ओ. भवन, नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राष्ट्रीय बैठक में श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

दत्तक-ग्रहण पर राष्ट्रीय बैठक: नए दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देशों के प्रारूप और केयरिंग्स के उन्नत रूप पर सभी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों और राज्य सरकार के अधिकारियों को अभिविन्यास देने के लिए डी.आर.डी.ओ. भवन, नई दिल्ली के डा. डी.एस. कोठारी सभागार में 20 एवं 21 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अन्य मंत्रालयों – विदेश मंत्रालय, गृह/विधायी/महापंजीयक की भागीदारी के बारे में दिशानिर्देशों से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया।

### पैतृकी भ्रमण

अधिक आयु के दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चे और उनके दत्तक माता-पिता समय-समय पर भारत का दौरा करते हैं। एक यात्रा के दौरान, कुछ बच्चों और उनके दत्तक माताओं-पिताओं ने अपने अनुभवों को दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के साथ साझा किया।



16 जुलाई, 2014 को अधिक आयु के दत्तक-ग्रहण किए गए भारतीय बच्चों और संयुक्त राज्य अमेरिका के उनके माता-पिता के साथ श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री



20 फरवरी, 2015 को डी.आर.जी.ओ. भवन, नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राष्ट्रीय बैठक में बच्चों को आधार कार्ड देती हुई माननीय महिला एवं शाल विकास मंत्री

दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के साथ व्यवहारिक सत्र, डीसीपीओ/सारा के अधिकारियों ने भी प्रशिक्षण लिया:

क्र.सं.	तारीख	राज्य सरकार का नाम	शामिल किए गए अभिकरणों की संख्या
1.	20.09.2014	उत्तर प्रदेश	3 (आगरा) 25 (लखनऊ)
2.	30.10.2014	पश्चिम बंगाल	20
3.	20.11.2014	मिजोरम	5
4.	20.12.2014	महाराष्ट्र	60
5.	24.11.2014	बिहार	8
6.	15.01.2015	केरल	18

- उपरोक्त के अलावा, दत्तक-ग्रहण पर सारा/राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन 27 एवं 28 अगस्त, 2014 को भारतीय



आइजोल, मिजोरम में 21 नवम्बर, 2014 को दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में प्रतिभागी

चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में किया गया।

- संशोधित केयरिंग्स और नई दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के बारे में परामर्शदाताओं, केयरिंग्स कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को अभिविन्यासित करने के लिए कारा में 19 जनवरी, 2015 को एक दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

## 2.3 मीडिया

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण उपलब्ध विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से विधायी एवं नीतिपरक दत्तक-ग्रहण के कारणों को बढ़ावा देने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करता है। इसके लिए कारा द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहले की गई:-

- अभिभावक की खोज करें, बच्चे को गोद लें विषय पर विज्ञापन
- अस्पतालों और प्रसूति क्लिनिकों के लिए सार्वजनिक नोटिस
- नए ऑडियो एवं वीडियो स्पॉटों का निर्माण
- केयरिंग्स पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भावी दत्तक माता-पिता के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया।
- देश में अनाधिकारिक दत्तक-ग्रहण को समाप्त करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाधिकृत संस्थानों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया।



गोवा में दत्तक-ग्रहण पर आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में प्रतिभागी



### दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण/दौरा

क्र.सं.	आरआईपीए/एसएए	निरीक्षण की तारीख
1	आंध्र प्रदेश में 5 दत्तक-ग्रहण अभिकरण	18-20 मई, 2014
2	महाराष्ट्र में 7 दत्तक-ग्रहण अभिकरण	26-27 मई, 2014
3	आगरा एवं मथुरा, उ.प्र. में 3 दत्तक-ग्रहण अभिकरण	24.06.2014
4	लखनऊ, उ.प्र. में 2 दत्तक-ग्रहण अभिकरण	19.09.2014
5	दिल्ली में 3 दत्तक-ग्रहण अभिकरण	11.11.2014 18.11.2014
6	वाराणसी में 2 दत्तक-ग्रहण अभिकरण	27-29 जनवरी, 2015
7	आइजोल एवं मिजोरम में 2 दत्तक-ग्रहण अभिकरण	20.11.2014

- चार वीडियो स्पॉट और चार ऑडियो स्पॉट निर्माण की प्रक्रिया में हैं जिन्हें फरवरी एवं मार्च, 2015 के दौरान बहु-मीडिया अभियान में उपयोग किया जाएगा।

#### 2.4 निरीक्षण एवं प्रबोधन

कारा ने दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम का विस्तार करने और सुदृढीकरण करने के लिए दत्तकग्रहण अभिकरणों का राज्य सरकारों के साथ संयुक्त निरीक्षण शुरू किया है। संयुक्त निरीक्षण शिकायतों के आधार पर किए गए और नियमित वार्षिक निरीक्षण भी किए गए। कारा ने ऑनलाइन केयरिंग्स के माध्यम से दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की नियमित प्रबोधन को भी सरल बनाया है। दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की निरीक्षण रिपोर्टों ने कारा को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के शीघ्र पुनर्वास में सक्षम बनाया है। कारा ने वर्ष 2014-15 के दौरान 24 दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण किया।

#### 2.5 विशेष जरूरतों वाले बच्चों का पुनर्वास

इस मॉड्यूल ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों जिन्हें मुश्किल से स्थापन किए जाने वाले बच्चे भी कहा जाता है, के शीघ्र

दत्तक-ग्रहण को सरल बनाया है। बालकों के दत्तक ग्रहण के अभिशासी सिद्धांत, 2011 के पैरा 44 में विशेष जरूरतों वाले बच्चों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

- दृष्टि एवं अन्य गंभीर मानसिक एवं शारीरिक चिकित्सीय परिस्थिति
- अधिक आयु के बच्चे;
- सहोदर भाई/बहन और
- जन्म के समय अत्यधिक अल्पवजनी बच्चे

यह पाया गया है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों की श्रेणी में, शारीरिक रूप से अक्षम एवं चिकित्सा के जरूरतमंद बच्चों की संख्या सबसे अधिक है जिसके बाद अधिक आयु के बच्चे आते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत से बच्चे दत्तक-ग्रहण अभिकरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं और बच्चों की आवक दत्तक-ग्रहण के इच्छुक माता-पिता की आवक की तुलना में कम है। जब अधिक आयु के और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को देश में परिवार नहीं मिलते हैं, ऐसे बच्चों को दीर्घकालीन संस्थानीकरण से बचाने के लिए उनके अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को सुगम बनाया जाता है।

## अध्याय 3

### आंकड़ा आधार

दत्तक ग्रहण	2012-13 (अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013)	2013-14 (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014)	2014-15 (अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015)
देश के भीतर	4694	3924	3988
अंतरदेशीय	308	430	374

दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का राज्य-वार ब्यौरा और दत्तक-ग्रहण आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

### वर्ष 2014-2015 के दौरान दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	एसएए की संख्या	आरआईपीए की संख्या	कुल
1	अंडमान	1	0	1
2	आंध्र प्रदेश	14	0	14
3	असम	7	1	8
4	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1
5	बिहार	10	1	11
6	छत्तीसगढ़	5	1	6
7	चण्डीगढ़	1	0	1
8	दिल्ली	3	9	12
9	गोवा	1	2	3
10	गुजरात	15	4	19
11	हरियाणा	2	1	3
12	हिमाचल प्रदेश	1	0	1
13	झारखण्ड	4	1	5
14	कर्नाटक	28	5	33
15	केरल	16	5	21
16	मध्य प्रदेश	37	1	38
17	महाराष्ट्र	45	20	65
18	मिजोरम	3	1	4
19	मेघालय	6	0	6
20	नागालैंड	5	0	5
21	ओडिशा	13	3	16
22	पंजाब	5	2	7
23	पुदुच्चेरी	1	2	3
24	राजस्थान	35	1	36
25	सिक्किम	2	0	2
26	मेघालय	1	0	1
27	त्रिपुरा	9	0	9
28	तमिलनाडु	9	5	14
29	तेलंगाना	10	1	11

क्र.सं.	राज्य का नाम	एसएए की संख्या	आरआईपीए की संख्याए	कुल
30	उत्तर प्रदेश	26	1	27
31	उत्तराखण्ड	4	0	4
32	पश्चिम बंगाल	21	4	25
	कुल	341	71	412

### वर्ष 2014-2015 के दत्तक-ग्रहण के राज्य-वार दत्तक-ग्रहण आँकड़े

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2014-15 के दत्तक-ग्रहण के राज्य-वार आँकड़े देश के भीतर	अंतरदेशीय
1	अंडमान	10	0
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	341	20
3	अरुणाचल प्रदेश	6	0
4	असम	77	5
5	बिहार	59	2
6	छत्तीसगढ़	54	0
7	चण्डीगढ़	15	0
8	दिल्ली	126	55
9	गोवा	16	0
10	गुजरात	153	22
11	हिमाचल प्रदेश	8	0
12	हरियाणा	40	7
13	झारखण्ड	119	15
14	कर्नाटक	411	14
15	केरल	199	13
16	मणिपुर	8	0
17	मध्य प्रदेश	114	1
18	महाराष्ट्र	947	89
19	मिजोरम	10	1
20	मेघालय	11	0
21	नागालैंड	43	0
22	ओडिशा	198	32
23	पुदुच्चेरी	27	6
24	पंजाब	53	31
25	राजस्थान	181	4
26	तमिलनाडु	228	26
27	त्रिपुरा	29	0
28	उत्तर प्रदेश	193	4
29	उत्तराखण्ड	12	1
30	पश्चिम बंगाल	300	26
	कुल	3988	374

## अध्याय 4



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली -110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)

INDRAPASTHA ESTATE, NEW DELHI -110002

दूरभाष / Phone: 011&23454329 फ़ैक्स / Fax: 23702271 ईमेल / Email: Amag3hq@gmail.com

संख्या / No AMG - III/4-67/SAR/CARA/2015-16/819

दिनांक / Dated 05.10.2015

सेवा में

सचिव, भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
शास्त्री भवन  
नई दिल्ली

**विषय:** वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय इत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय / महोदया

मैं केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के प्रमाणित लेखे की प्रति, उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए। कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो संदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले वर्ष 2013-14 के तथा सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से संबंधित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें:

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अनुलग्नक : यथोपरि

भवदीया

हस्ताक्षर

निदेशक (ए.एम.जी-III)

प्रतिलिपि:

श्री वीरेन्द्र मिश्रा, सचिव, केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पश्चिमी खण्ड 8, विंग 2, तृतीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो संदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले वर्ष 2013-14 के तथा सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

हस्ताक्षर

निदेशक (ए.एम.जी-III)

### 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (कारा) के 31 मार्च, 2015 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों और प्राप्ति, एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा को 2014-15 की अवधि का कार्य सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता – सह – निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में रूढ़ लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण प्रावकलनों का जायाजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

- (i) हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखों/प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारे विचार से, प्राधिकरण द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसाकि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (iv) हमें यह भी रिपोर्ट करते हैं:

**क. तुलन-पत्र**

**क.1 देयताएं**

**क.1.1 पूंजी निधि (अनुसूची - 1) 58.80 लाख रुपये**

**क.1.1.1** केंद्रीय स्वानयत्ती निकायों के लिए वित्तीय विवरण के निर्धारित के अनुसार, आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय (व्यय) के शेष को अनुसूची-1 में जोड़ा जाना/से घटाया जाना चाहिए, जबकि कारा ने वर्ष 2014-15 के अतिरिक्त व्यय की अधिकता को आरक्षित एवं अधिशेष (अनुसूची-2) में अंतरित किया। इसे ठीक किया जाए।

**क.2 परिसंपत्तियां**

**क.2.1 स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची-8) - 14.07 लाख रुपये**

**क.2.1.1** कारा ने एक फर्म को चार फिल्मों की लिखाई/कहानी बोर्ड, संगीत, निर्देशन आदि के लिए 73.03 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। राशि लेखों के योजना शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में बुक की गई थी। चूंकि अवाप्त की गई मदे पूंजीगत प्रकृति की थी, इसे पूंजीगत व्यय के रूप में बुक किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों का 73.03 लाख रुपये कम मूल्यांकन और व्याय का उतना ही अधिक मूल्यांकन किया गया।

**क.2.2 मौजूदा परिसंपत्तियां (अनुसूची-11) - 8.28 करोड़ रुपये**

**क.2.2.1** कारा ने विभिन्न पक्षकारों को 0.62 लाख रुपये मूल्य के चैक जारी (सितम्बर, 201 में जारी) किए जिन्हें 31 मार्च, 2015 तक भुनाया नहीं गया था। इन मियाद खारिज चैकों को पुनरांकित नहीं किया गया, जिससे मौजूदा परिसंपत्तियों (बैंक शेष) और देयताओं (ऋणदाताओं) में इतनी ही राशि कम बताई गई।

**क.3 निवेश (अनुसूची - 10) - 54.70 लाख रुपये**

**क.3.1** अधिवर्षिता राशि के निवेश के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार, बैंक की एफडीआर में अधिकतम 40% तक राशि का निवेश किया जा सकता है। कारा ने उपदान और अवकाश वेतन की 63.33 लाख रुपये की कुल संचित राशि का सिंडीकेट बैंक की मियादी जमा में निवेश किया जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति से असंगत था।

**ख. सामान्य**

**ख.1** 31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार लेखों के योजना शीर्ष के अंतर्गत 788.40 लाख रुपये की राशि को बकाया अग्रिम के रूप में दर्शाया गया। इनमें से, निम्नलिखित अग्रिम बहुत पुराने समय के थे:

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	नियोजित राशि	कब से लंबित
1	डीएवीपी	562.88	नवम्बर, 2012 से
2	के.लो.नि.वि.	69.71	जनवरी, 2012 से
3	एनआईसी	47.93	जून, 2011 से

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि:

- कारा ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम राशि में से 45.44 लाख रुपये के व्यय को (31.03.2013 को 41.48 लाख रुपये और 31.03.2014 को 3.96 लाख रुपये) समायोजित किया और राशि को नवीनीकरण एवं मरम्मत के नाम से राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया। पिछले वर्षों से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 115.15 लाख रुपये की पूरी राशि के अग्रिम को अनुसूची-8 के अंतर्गत 'प्रगति पर कार्य' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। कार्य पूरा होने पर स्थायी परिसंपत्तियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सामने पूंजी के रूप में परिणित किया जाए।
- शेष लंबे समय से लंबित अग्रिम में वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान 'प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां' के लिए अग्रिम शामिल हैं जिसे शीघ्र समायोजित किए जाने की जरूरत है और तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

**ख.2** तुलन पत्र की अनुसूची - 7 के अनुसार, 31.03.2015 तक के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 111.31 लाख रुपये की राशि को 'अवकाशवेतन एवं उपदान' के लिए प्रावधान के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, कारा ने अवकाश वेतन एवं उपदान अंशदान के लिए 63.33 लाख रुपये (अनुसूची - 10) का निवेश किया। इस प्रकार, 31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार इस लेखे के लिए उपलब्ध राशि 47.98 लाख रुपये कम है।

**ख.3** वेतन की गणना संग्रहण आधार के बजाय नकद आधार पर की गई।

#### ग. सहायतानुदान

वर्ष 2014-15 के दौरान, कारा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुदान के रूप में 481.66 लाख रुपये (310.00 लाख रुपये 'योजना' और 171.66 लाख रुपये 'गैर-योजना) प्राप्त हुए। इसके पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के रूप में 81.04 लाख रुपये (योजना : 75.21 लाख रुपये और गैर-योजना : 5.83 लाख रुपये) थे। 562.70 लाख रुपये की कुल उपलब्ध राशि की तुलना में, इसने वर्ष के दौरान 551.11 लाख रुपये (योजना के अंतर्गत 377.62 लाख रुपये और गैर-योजना के अंतर्गत 177.49 लाख रुपये) उपयोग किए और इस प्रकार वर्ष के अंत में 7.59 लाख रुपये (योजना) अव्ययित शेष के रूप में रह गया।

**घ. प्रबंधन पत्र :** जो कमियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं वे, उपचारी/शोधक कार्रवाई के लिए अलग से, प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणियों के अध्याधीन हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

6. हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन-पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक  
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 01.10.2015

हस्ताक्षर  
लेखापरीक्षा महानिदेशक  
केंद्रीय व्यय





## अनुलग्नक

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- सनदी लेखाकार द्वारा 2014-15 तक की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और इसे पर्याप्त पाया गया।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित क्षेत्रों में कारा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है:

- उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई और इनमें से कुछ प्रमाण-पत्र 2008-09 से लंबित थे।
- सांविधिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2006-07 से 2012-13 की अवधि के 10 लेखा परीक्षा पैरा बकाया हैं।

### 3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

- स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन केवल 25.07.2014 तक ही किया गया है और यह अपर्याप्त पाई गई।
- कारा गैर-उपभोग्य वस्तुओं के लिए समेकित स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर रखता है। चूंकि योजना और गैर-योजना शीर्ष के लिए लेखों के साथ संलग्न अनुसूची - 8 अलग से तैयार की गई है, वार्षिक लेखों में दर्शाई गई प्रविष्टियां संपत्ति रजिस्टर से शीर्ष-वार अलग-अलग नहीं की जा सकीं। इसलिए, लेखों के योजना और गैर-योजना शीर्ष के लिए अलग-अलग परिसंपत्ति रजिस्टर रखने की जरूरत है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, 32.51 लाख रुपये का फर्नीचर एवं जुड़नार खरीदे गए लेकिन मद-वार ब्यौरा नहीं रखा गया। ब्यौरा के अभाव में, इन परिसंपत्तियों के वास्तविक मौजूदगी और भारित मूल्य ह्रास की सटीकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। इसका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई अभी भी लंबित है।

### 4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

- पुस्तकों का भौतिक सत्यापन केवल 09.07.2014 तक किया गया है और कोई कमी नहीं पाई गई।
- लेखन सयामग्री और उपभोग्य सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

### 5. सांविधिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

- सांविधिक देनदारियों जैसे कि आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्का, उप कर, सहभागिता भविष्य निधि और कर्मचारी राज्यी बीमा के संबंध में 31.03.2015 को 6 महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

### अनुलग्नक

(दिनांक 05.10.2015 का अ.शा. पत्र संख्या एएमजी-III/4-67/एसआर/सीएआर/2015-16/822 का)

1. अनुसूची - 7 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) में, कारा की देयताओं के रूप में टेरे डेस होमेमेस (लौसने) के प्रति 33,620 रुपये और द बार्कर फाउण्डेशन (सं.रा.अ.) के प्रति 33,641 रुपये दर्शाए गए हैं। चूंकि ये राशियां इन संगठनों को देय नहीं थीं लेकिन व्यय की वापसी इन नाम से बुक थी, इस राशि को कारा की आय के रूप में लिया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि देयताओं का मूल्यांकन वास्तविकता से अधिक और उसी राशि के बराबर आय का मूल्यांकन वास्तविकता से कम हुआ।
2. अनुसूची - 21 में, 'बैंक प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत 1661 रुपये की राशि और 'टोल फ्री हैल्प लाइन व्यय' शीर्ष के अंतर्गत 15067 रुपये की राशि को लेखों के योजना और गैर-योजना शीर्ष के कुल में शामिल नहीं किया गया। उसी प्रकार, योजना एवं गैर-योजना व्यय को कुल 417,12,446 रुपये की जगह 416,95,718 रुपये दर्शाया गया। इसमें संशोधन किए जाने की जरूरत है।
3. कारा लेखों के योजना और गैर-योजना शीर्षों के लिए दो अलग-अलग खाते संचालन में हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

योजना		गैर-योजना	
सिंडीकेट बैंक (आरके पुरम) खाता संख्या 90702160000038	1196583.07 रुपये	सिंडीकेट बैंक (आरके पुरम) खाता संख्या 90702160000023	1591446.03 रुपये
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पालिका भवन) खाता संख्या 468302010906554	11601101.52 रुपये	आईडीबीआई (पीतमपुरा) खाता संख्या 037104000211680	29964.00 रुपये

लेखों के योजना और गैर-योजना शीर्षों के लिए दो अलग-अलग खाते चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

अनुसूची	चालू वर्ष		कुल	पिछला वर्ष		कुल
	योजना	गैर-योजना		योजना	गैर-योजना	
<b>कॉरपस/ पूंजीगत निधि एवं देयताएं</b>						
1 पूंजीगत निधि	43,21,917.00	15,57,782.00	58,79,699.00	39,34,368.00	15,22,535.00	54,56,903.00
2 आरक्षित एवं आधिक्य	776,34,205.00	(23,64,631.00)	752,69,574.00	768,74,895.00	3,07,702.00	771,82,597.00
3 विह्वलित / अक्षय निधि						
4 सुरक्षित ऋण एवं उधारियां						
5 असुरक्षित ऋण एवं उधारिया						
6 विलंबित ऋण देयताएं						
7 मौजूदा देयताएं एवं प्राक्धान	15,58,738.00	117,06,546.00	132,65,284.00	82,25,179.00	90,99,380.00	173,24,559.00
व्यय पर आय का आधिक्य						
<b>कुल</b>	<b>835,14,860.00</b>	<b>108,99,697.00</b>	<b>944,14,557.00</b>	<b>890,34,442.00</b>	<b>109,29,617.00</b>	<b>999,64,059.00</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>						
8 अबल परिसंपत्तियां	39,15,631.00	14,06,549.00	53,22,180.00	39,34,368.00	15,22,535.00	54,56,903.00
9 विह्वलित / अक्षय निधि से निवेश						
10 निवेश - अन्य		63,33,100.00	63,33,100.00		54,70,230.00	54,70,230.00
11 मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	795,99,229.00	31,60,048.00	827,59,277.00	85,1,00,074.00	39,36,852.00	890,36,926.00
विविध व्यय						
(बट्टे खाते में नहां डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक)						
<b>कुल</b>	<b>835,14,860.00</b>	<b>108,99,697.00</b>	<b>944,14,557.00</b>	<b>890,34,442.00</b>	<b>109,29,617.00</b>	<b>999,64,059.00</b>
24 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां						
25 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

अनुसूची	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		कुल
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
<b>आय</b>					
बिक्री/सेवाओं से आय					
अनुदान/सहायिकी	373,74,560.00	177,13,463.00	464,14,001.00	163,83,290.00	627,97,291.00
शुल्क/अभिदान					
निवेश से आय					
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	7,29,490.00	6,12,872.00	4,35,681.00	5,43,610.00	9,79,291.00
अर्जित ब्याज		77,140.00	12,047.00	77,398.00	89,445.00
अन्य आय					
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)					
और चालू कार्य					
<b>कुल (क)</b>	<b>381,04,050.00</b>	<b>184,03,475.00</b>	<b>468,61,729.00</b>	<b>170,04,298.00</b>	<b>638,66,027.00</b>
<b>व्यय</b>					
स्थापना व्यय		161,50,583.00		104,03,681.00	104,03,681.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	369,38,454.00	47,73,992.00	296,92,501.00	51,57,115.00	348,49,616.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय					
ब्याज					
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची-8 के अनुरूप)	4,06,286.00	1,51,233.00	4,38,038.00	1,55,405.00	5,93,443.00
<b>कुल (ख)</b>	<b>373,44,740.00</b>	<b>210,75,808.00</b>	<b>301,30,539.00</b>	<b>157,16,201.00</b>	<b>458,46,740.00</b>
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)	7,59,310.00	(26,72,333.00)	167,31,190.00	12,88,097.00	180,19,287.00
विशेष रिजर्व में अंतरण (यिनिस्टिस्ट करें)					
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण					
पंजीगत निधि में डाला गया आधिक्य/(घाटा) के कारण शेष	<b>7,59,310.00</b>	<b>(26,72,333.00)</b>	<b>167,31,190.00</b>	<b>12,88,097.00</b>	<b>180,19,287.00</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आकास्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां					
24					
25					

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-यांजना	कुल	योजना	गैर-यांजना	कुल
<b>(i) अथ शेष</b>						
(क) हाथ रोकड़	16,624	19,036	35,660	23,907	17,593	41,500
(ख) बैंक में जमा राशि			-			-
(i) चालू खातों में (अव्ययित शेष)			-			-
(ii) जमा खातों में			-			-
(iii) बचत खाता (सिंडिकेट बैंक)	21,08,201	13,09,283	34,17,484	42,313	50,036	92,349
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	53,95,392	-	53,95,392	2,23,066	-	2,23,066
आईडीबीआई बैंक	-	28,800	28,800		27,682	27,682
पिछले वर्ष के अग्रिम का समायोजन	775,79,857	25,79,733	801,59,590	1065,92,438	33,31,651	1099,24,089
<b>(ii) प्राप्त अनुदान</b>						
(क) भारत सरकार से						
i) राजस्व व्यय	306,12,451	171,30,753	477,43,204	464,14,001	159,26,107	623,40,108
ii) पूंजीगत व्यय	3,87,549	35,247	4,22,796	-	4,57,183	4,57,183
(ख) राज्य सरकार से						-
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)						-
(पूंजीगत एवं राजस्व व्यय हेतु अनुदान अलग से दर्शाया जाए)						-
<b>(iii) निवेश पर निम्नलिखित से आय</b>						
क) चिह्नित/अक्षय निधि						-
(ख) स्वयं की निधियां (अन्य स्रोत)		38,81,122	38,81,122		17,02,571	17,02,571
<b>(iv) प्राप्त ब्याज:</b>						
(क) बैंक जमा राशि पर						-
(ख) ऋण, अग्रिम आदि						-
(ग) बचत खाता	7,29,490	6,12,872	13,42,362	4,35,681	2,38,200	6,73,881
प्रोद्भूत ब्याज (वर्ष के दौरान)			-		3,05,410	3,05,410
<b>(v) अन्य प्राप्तियां (विनिर्दिष्ट करें):</b>						
विविध प्राप्तियां	-		-	12,047	-	12,047
अंतरराष्ट्रीय बैंक पंजीकरण शुल्क			-			-
अन्य आय	95,668		95,668		77,108	77,108
आरटीआई के लिए प्राप्ति		405	405		290	290
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट			-			-
<b>(vi) उधार ली गई राशि:</b>						
<b>(vii) कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)</b>						
प्रतिभूति जमा			-			-
कर्मचारी भविष्य निधि	-	76,735	76,735			-
<b>कुल</b>	<b>1169,25,232</b>	<b>256,73,986</b>	<b>1425,99,218</b>	<b>1537,43,453</b>	<b>221,33,831</b>	<b>1758,77,284</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110068

31 मार्च, 2015 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
<b>(ii) व्यय</b>						
(क) स्थापना व्यय		126,54,261	126,54,261		103,56,284	103,56,284
(ख) प्रशासनिक व्यय	369,38,454	50,80,438	420,18,892	679,46,884	44,12,664	723,59,548
(ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान			-			-
<b>(iii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के लिए किया गया भुगतान:</b> (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम साथ में दर्शाया जाना चाहिए)						
<b>(iii) किया गया निवेश और जमा:</b>						
(क) चिह्नित/अक्षय निधि में से						
(ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)		47,43,992	47,43,992		29,67,848	29,67,848
<b>(iv) स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय और चालू कार्य में पूंजी</b>						
(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	3,87,549	35,247	4,22,796	6,96,495	4,60,183	11,56,678
(ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय						
<b>(v) ऋण और अग्रिम</b>						
(क) भारत सरकार को						
(ख) राज्य सरकार को						
(ग) अन्य को	788,40,705	22,00,197	810,40,902	775,79,857	25,79,733	801,59,590
<b>(vi) वित्तीय प्रभार (ब्याज)</b>						
<b>(vii) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें):</b>						
<b>(viii) अंत शेष</b>						
(क) हाथ रोकड	12,422	14,010	26,432	16,624	19,036	35,660
(ख) बैंक में जमा राशि			-			-
(i) चालू खातों में						
(ii) जमा खातों में						
(iii) बचत खातों में (यूबीआई)	6,44,408		6,44,408	53,95,392		53,95,392
आईडीबीआई		29,964	29,964		28,800	28,800
सिंडिकेट बैंक	1,01,694	9,15,877	10,17,571	21,08,201	13,09,283	34,17,484
<b>कुल</b>	<b>1169,25,232</b>	<b>256,73,986</b>	<b>1425,99,218</b>	<b>1537,43,453</b>	<b>221,33,831</b>	<b>1758,77,284</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूधियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
	<b>अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि:</b> वर्ष के प्रारम्भ में शेष जोड़े : कॉरपस/पूंजीगत निधि में अशदान जोड़े : लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन जोड़े/घटाए : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष/(व्यय) घटाए अथवा शेष आय एवं व्यय लेखा घटाए : रिजर्व एवं अधिशेष में अंतरित	39,34,368.00 3,87,549.00	15,22,535.00 35,247.00	54,56,903.00 4,22,796.00	640,78,073.00	5,42,140.00
<b>वर्ष की समाप्ति पर शेष</b>	<b>43,21,917.00</b>	<b>15,57,782.00</b>	<b>58,79,699.00</b>	<b>39,34,368.00</b>	<b>15,22,535.00</b>	<b>659,08,310.00</b>
<b>अनुसूची 2 - रिजर्व एवं अधिशेष</b>						
<b>1. पूंजीगत रिजर्व</b>						
पिछले लेखे के अनुसार	768,74,895.00	3,07,702.00	771,82,597.00	601,43,705.00	-	601,43,705.00
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	7,59,310.00	(26,72,333.00)	(19,13,023.00)	167,31,190.00	3,07,702.00	170,38,892.00
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-	-	-
<b>2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व</b>						
पिछले लेखे के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-	-	-	-	-
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-	-	-
<b>3. विशेष रिजर्व</b>						
पिछले लेखे के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-	-	-	-	-
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-	-	-
<b>4. सामान्य रिजर्व :</b>						
पिछले लेखे के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-	-	-	-	-
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>776,34,205.00</b>	<b>(23,64,631.00)</b>	<b>752,69,574.00</b>	<b>768,74,895.00</b>	<b>3,07,702.00</b>	<b>771,82,597.00</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचामी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
	<p><b>अनुसूची 3 - विह्नित/अभय निधि:</b></p> <p>क) निधियों का अध शेष                      ख) परिसंपत्तियों में वृद्धि :                      (i) अनुदान (गैर-योजना):                      क) राजस्व व्यय                      ख) पूंजीगत व्यय                      (ii) निधियों में किए गए निवेश से आय                      (iii) अन्य वृद्धियां (विनिर्दिष्ट करें)                      अंतरराष्ट्रीय बैंक पंजीकरण शुल्क</p> <p><b>कुल (क+ख)</b></p>					
<p>ब) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय                      (i) पूंजीगत व्यय                      *अवल परिसंपत्तियां                      *अन्य                      (ii) राजस्व व्यय                      *वेतन, मजदूरी एवं मल्ले आदि                      *किराया                      *अन्य प्रशासनिक व्यय                      अंतरराष्ट्रीय बैंक पर व्यय                      कुल (ग)</p>						
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)</b>						

नोट:

1) अनुदान से जुड़ी इतनी के आधार पर प्रासंगिक

शीर्ष के तहत प्रकटीकरण किया जाए।

2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना राशि को अलग

राशि के रूप में दर्शाया जाए और इसे अन्य किसी राशि

के साथ न जोड़ा जाए



वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूधियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
	अनुसूची 4 - प्रतिभूति कर्ज और उधारियां					
1. केंद्र सरकार			-			-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
3. वित्तीय संस्थाएं			-			-
क) मियादी ऋण			-			-
ख) उपधित ब्याज एवं देय			-			-
4. बैंक:						
क) मियादी ऋण			-			-
- उपधित ब्याज एवं देय			-			-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
- उपधित ब्याज एवं देय			-			-
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण			-			-
6. डिबेंचर एवं बोन्ड्स			-			-
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
<b>कुल (ग)</b>			-			-

नोट:

एक वर्ष के भीतर देय राशि

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचामी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
<p><b>अनुसूची 5 – अप्रतिभूति कर्ज और उधारियां</b></p> <p>1. केंद्र सरकार</p> <p>2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>3. वित्तीय संस्थाएं</p> <p>4. बैंक</p> <p>क) मियादी ऋण</p> <p>ख) उपचित ब्याज एवं देय</p> <p>5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण</p> <p>6. डिबेंचर एवं बोन्ड्स</p> <p>7. मियादी जमा</p> <p>8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p>			-			-
<p><b>अनुसूची 6 – अस्थिर ऋण देयताएं :</b></p> <p>क) पूंजीगत उपस्कर के मालबन्धन द्वारा संरक्षित स्वीकृत शिल और अन्य परिसंपत्तियां</p> <p>ख) अन्य</p>			-			-
<b>कुल</b>			-			-

नोट:

एक वर्ष के भीतर देय राशि

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
<b>अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान</b>						
क. वर्तमान देयताएं						
टीडीएस संविदाकार अब्ययित सहायतानुदान	7,58,524.00	-	7,58,524.00	75,20,633.00	5,82,710	81,03,343.00
ईपीएफ संगठन व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	7,04,546.00	5,20,662	12,25,208.00	7,04,546.00	7,35,587	14,40,133.00
अशोक दूर एण्ड ट्रेवल्लस		42,650	42,650.00		24,250	24,250.00
ईपीएफ संगठन		-	-		10,000	10,000.00
प्रतिभूति जमा (एसीएमई लि.)		-	-		70,000	70,000.00
प्रतिभूति जमा (वर्मा सिव्कोरिटीज)		-	-		10,000	10,000.00
प्रतिभूति जमा (क्रिएटिव सॉल्यूशन)		2,085	2,085.00		14,006	14,006.00
टीडीएस संविदाकार		10,400	10,400.00			
टाडीएस व्यावसायिक	33,620.00		33,620.00			
संयोग एसीए, ओडिशा	33,641.00		33,641.00			
आईटीडीसी (विज्ञान मयन)	28,407.00		28,407.00			
टी.ए. के लिए देय राशि						
<b>कुल क</b>	<b>15,58,738.00</b>	<b>5,75,797</b>	<b>21,34,535</b>	<b>82,25,179</b>	<b>14,46,553</b>	<b>96,71,732</b>
<b>ख. प्रावधान :</b>						
1. करधान के लिए						
2. उपदान		55,94,165	55,94,165.00		37,20,792	37,20,792.00
3. अधिवर्षिता/पेंशन						
4. संचित छुट्टी नकद मुगतान		55,36,584	55,36,584.00		39,32,035	39,32,035.00
5. व्यापार वारंटिया / दावे						
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
प्रशासन एवं स्थापना व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'घ')						
व्यय हेतु प्रावधान						
<b>कुल ख</b>	<b>-</b>	<b>111,30,749</b>	<b>111,30,749</b>	<b>-</b>	<b>76,52,827</b>	<b>76,52,827</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>15,58,738.00</b>	<b>117,06,546</b>	<b>132,65,284</b>	<b>82,25,179</b>	<b>90,99,380</b>	<b>173,24,559</b>

**वित्तीय विवरण**  
**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**  
पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066  
(योजना)

विवरण	कुल ब्लॉक				हास मूल्य			निवल ब्लॉक		
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के अंत में कटौती	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पछले वर्ष के अंत तक
अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां: अनुलग्नक - क के अनुसार ब्यौरा										
क. स्थायी परिसंपत्तियां:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर्स	32,51,249	1,33,100	33,84,349	-	2,05,804	2,09,315	-	4,15,119	29,69,230	30,45,445
6. कार्यालय उपस्कर	-	98,949	98,949	-	-	445	-	445	98,504	-
7. कम्प्यूटर/कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं	16,64,821	1,55,500	18,20,321	-	7,75,898	1,96,526	-	9,72,424	8,47,897	8,88,923
8. विद्युत संस्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>49,16,070</b>	<b>3,87,549</b>	<b>53,03,619</b>	<b>-</b>	<b>9,81,702</b>	<b>4,06,286</b>	<b>-</b>	<b>13,87,988</b>	<b>39,15,631</b>	<b>39,34,368</b>
ख. पूंजीगत चालू कार्य										
<b>कुल जोड़</b>									<b>39,15,631</b>	<b>39,34,368</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचयनी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066  
(गैर-योजना)

विवरण	कुल ब्लॉक			हास मूल्य			निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती	चालू वर्ष के अंत तक	पछले वर्ष के अंत तक
अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां: अनुलग्नक - ख के अनुसार ब्यौरा								
क. स्थायी परिसंपत्तियां:								
1. भूमि:								
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:								
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर								
ख) पट्टे की जमीन पर								
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर								
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो संस्था की नहीं है								
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर								
4. वाहन								
5. फर्नीचर, फिक्सचर्स	19,35,583	4,850	19,40,433	13,94,823	97,770	-	4,47,840	5,40,760
6. कार्यालय उपस्कर	16,14,327	12,812	16,27,139	7,68,227	33,786	-	8,25,126	8,46,100
7. कम्प्यूटर/कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं	23,34,944	14,605	23,49,549	21,99,428	16,850	-	1,33,271	1,35,516
8. विद्युत संस्थापना								
9. पुस्तकालयी पुस्तकें	47,760	2,980	50,740	47,601	2,827	-	312	159
10. नलकूप एवं जलापूर्ति								
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां								
<b>कुल</b>	<b>59,32,614</b>	<b>35,247</b>	<b>59,67,861</b>	<b>44,10,079</b>	<b>1,51,233</b>	<b>-</b>	<b>14,06,549</b>	<b>15,22,535</b>
ख. पूंजीगत बालू कार्य								
<b>कुल जोड़</b>							<b>14,06,549</b>	<b>15,22,535</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचामी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूधियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
<b>अनुसूची 9 - अभिनिर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश:</b>						
1. सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं सयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
<b>कुल</b>			-			-
<b>अनुसूची 10 - निवेश - अन्य:</b>						
1. सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं सयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
उपरोक्त ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है						
मियादी जमा (सिडिकेंट बैंक के पास)						
<b>कुल</b>			63,33,100.00			54,70,230.00
			<b>63,33,100.00</b>			<b>54,70,230.00</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचयी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष		कुल	पिछला वर्ष		कुल
	योजना	गैर-योजना		योजना	गैर-योजना	
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि						
क. चालू परिसंपत्तियां :						
1. संपत्ति - सूची :						
क) मंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	-	-	-	-	-	-
ख) खुले औजार	-	-	-	-	-	-
ग) स्थायी खजाना	-	-	-	-	-	-
तैयार माल	-	-	-	-	-	-
प्रगति में कार्य	-	-	-	-	-	-
कच्चा माल	-	-	-	-	-	-
कुल						
2. विविध देनदार :						
क) छ: माह से अधिक अवधि के ऋण						
ख) अन्य						
3. हस्तागत बकाया रोकड़	12,422.00	14,010.00	26,432.00	16,624.00	19,036.00	35,660.00
(बैंक / ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) :						
4. बैंक में जमा राशि :						
क) अनुसूचित बैंकों में :						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)						
* बचत खातों में						
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में						
* बचत खातों में						
कुल	7,46,102.00	9,45,841.00	16,91,943.00	75,03,593.00	13,38,083.00	88,41,676.00
5. ङाकधर- बचत खाते						
कुल	7,58,524.00	9,59,851.00	17,18,375.00	75,20,217.00	13,57,119.00	88,77,336.00

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी....)						
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां						
1. ऋण :						
क) कर्मचारी (अनुलम्बक 'ख')						
ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न/समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं						
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
2. अग्रिम और अन्य राशि की वसूली नगदी या वस्तु के रूप में प्राप्त किया जाना :						
क) पूंजीगत खाते में						
ख) पूर्व भुगतान						
ग) अन्य :						
अनुलम्बक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता	50,04,483.00	1,405.00	50,05,888.00	44,27,862.00	1,70,407.00	45,98,269.00
एन्खाईसी	47,93,083.00	1,14,689.00	49,07,772.00	47,93,083.00	2,03,700.00	49,96,783.00
के.लो.नि.वि.	69,70,717.00	11,46,215.00	81,16,932.00	55,24,237.00	11,46,215.00	66,70,452.00
लीज लाइन के लिए भुगतान किया अग्रिम (एमटीएनएल एवं एन्खाईसीएसआई)	9,34,996.00		9,34,996.00	9,34,996.00		9,34,996.00
प्रतिभूति जमा (फोन)	562,88,323.00	1,20,000.00	562,88,323.00	618,51,294.00		618,51,294.00
डीएवीपी					59,004.00	59,004.00
घ) डाक-व्यय अग्रिम	4,12,411.00	10,456.00	4,12,411.00			
एन्खाईसीएसआई						
एन्खाईसी खाता		2,50,000.00	2,50,000.00		2,50,000.00	2,50,000.00
डी.जी.एस. एण्ड डी.	7,28,692.00	1,791.00	7,30,483.00	40,385.00	1,791.00	42,176.00
सम्पदा निवेशालय	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00
एन सी डब्लू		23,146.00	23,146.00			
सी आई डी, पी एच ओ मोपाल		18,000.00	18,000.00			



वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचयी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		कुल
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
	कुल	कुल	कुल	कुल	
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)					
3. उपाजित आय :					
क) निर्धारित/बंदोबस्ती फंड निवेश के लिए					
ख) अन्य निवेशों से (एफडीआर)		2,70,902.00	-	6,04,732.00	6,04,732.00
ग) ऋणों एवं अग्रिम से			-	11,784.00	11,784.00
ड) अन्य (आय की वजय से अचेतन ब्याज प्राप्त करने योग्य रुपये.....) भी शामिल है।		3,593.00			
अनुदान सहायता प्राप्त करने योग्य					
4. दावों को प्राप्त करने योग्य:					
कुल (ख)	788,40,705.00	22,00,197.00	775,79,857.00	25,79,733.00	801,59,590.00
कुल (क+ ख)	795,99,229.00	31,60,048.00	851,00,074.00	39,36,852.00	890,36,926.00

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
<b>अनुसूची 12 - बिक्री और सेवाओं से आय:</b>						
1) बिक्री से आय						
क) तैयार माल की बिक्री	-	-	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-	-	-
ग) रछ्दी माल की बिक्री	-	-	-	-	-	-
2) सेवाओं से आय						
क) श्रम और प्रसरकरण प्रभार	-	-	-	-	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-	-	-	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर / सपल्लि)	-	-	-	-	-	-
इ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	-	-	-	-
<b>अनुसूची 13 - अनुदान / सहायिकी</b> (अप्रति-संरणीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी)						
जोड़ें:- प्रारंभिक अव्ययित अनुदान						
1) केंद्र सरकार	75,20,633	5,82,710	81,03,343	2,23,634	-	2,23,634
31 / 3 / 2014 को अव्ययित शेष	310,00,000	171,66,000	481,66,000	537,11,000	169,66,000	706,77,000
घटाएं: पूँजीनिधि की राशि हस्तांतरण	(7,58,524)	-	(7,58,524)	(75,20,633)	(5,82,710)	(81,03,343)
	(3,87,549)	(35,247)	(4,22,796)			
2) राज्य सरकार (रं)						
3) सरकारी अभिकरण						
4) संस्थाएं / कल्याण निकाय						
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन						
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
<b>कुल</b>	<b>373,74,560</b>	<b>177,13,463</b>	<b>550,88,023</b>	<b>464,14,001</b>	<b>163,83,290</b>	<b>627,97,291</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचयी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूधियां

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		कुल
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
<b>अनुसूची 16 - सैयल्टी, प्रकाशन आदि</b>					
1) सयल्टी से आय	-	-	-	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-	-	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करे)	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>					
<b>अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज</b>					
1) मियादी जमा पर :					
क) अनुसूधित बैंको से (अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं)	-	-	-	-	-
ख) गैर-अनुसूधित बैंको से	-	-	-	-	-
ग) सस्थाओं से	-	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-	-
2) बचत खालों पर :					
क) अनुसूधित बैंको से	7,29,490	6,12,872	4,35,681	5,43,610	9,79,291
ख) गैर-अनुसूधित बैंको से	-	-	-	-	-
ग) सस्थाओं से	-	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-	-
3) ऋणों पर :					
क) कर्मचारी / स्टाफ	-	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज					
<b>कुल</b>	<b>7,29,490</b>	<b>6,12,872</b>	<b>4,35,681</b>	<b>5,43,610</b>	<b>9,79,291</b>

नोट: स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख किया जाए।

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचामी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
<b>अनुसूची 18 - अन्य आय :</b>						
1) परिसंपत्तियां की बिक्री/निपटान पर लाभ						
क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां						
ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां						
2) बचूले गए निर्यात प्राल्साहन						
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क						
4) विविध आय						
पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री						
फ्रेंकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट						
आरटीआई शुल्क		405	405		290	290
प्राप्त विदेशी अनुदान		76,735	76,735		77,108	77,108
अंतरराष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण शुल्क खाता)		-	-		-	-
<b>कुल</b>		<b>77,140</b>	<b>77,140</b>	<b>12,047</b>	<b>77,398</b>	<b>89,445</b>
<b>अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)</b>						
क) अंत स्टॉक						
i) तैयार माल						
ii) चालू कार्य						
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक						
i) तैयार माल						
ii) चालू कार्य						
<b>कुल</b>						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूधियां

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना
		कुल			कुल
<b>अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :</b>					
क) वेतन और मजदूरी		105,08,537	105,08,537		84,75,331
ख) जनशक्ति प्रभार		-	-		-
ग) मल्ले, बोन्स और मानदेय		46,190	46,190		1,28,558
घ) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		3,49,500	3,49,500		2,08,750
च) पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान		16,52,454	16,52,454		61,799
छ) चिकित्सा व्यय		1,89,970	1,89,970		2,50,663
ज) छुट्टी यात्रा रियायत व्यय		68,120	68,120		3,27,705
झ) यूनीफार्म प्रभार		-	-		-
ञ) भविष्य निधि में नियोजता का अंशदान		9,70,081	9,70,081		8,11,798
ट) ईडीएलआई (पीएफ)		47,050	47,050		43,193
ड) ईपीएफ प्रशासन प्रभार		1,04,463	1,04,463		95,884
ण) एफ. एस. सी		27,337	27,337		-
त) पट्टे का किराया		3,13,508	3,13,508		-
थ) समायोपरि मल्ला					-
उपदान प्रावधान		18,73,373	18,73,373		-
संशोधित छुट्टी वेतन प्रावधान					-
<b>कुल क+ख</b>	-	<b>161,50,583</b>	<b>161,50,583</b>	-	<b>104,03,681</b>
					<b>104,03,681</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, बिंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूधियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
<b>अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय</b>						
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		44,514	44,514		33,963	33,963
कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव		1,63,721	1,63,721		5,09,425	5,09,425
वाहन किराया (कार)		8,04,011	8,04,011		8,00,153	8,00,153
डाक और तार प्रभार		1,40,987	1,40,987		1,17,055	1,17,055
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		4,36,551	4,36,551		4,61,049	4,61,049
यात्रा व्यय		3,15,444	3,15,444		3,87,932	3,87,932
विदेश यात्रा व्यय		13,469	13,469		47,570	47,570
वाहन व्यय		84,362	84,362		48,734	48,734
बैठक व्यय		1,21,127	1,21,127		48,513	48,513
व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी	43,84,850	-	43,84,850	35,21,636	-	35,21,636
बैंक प्रभार	1,661	1,433	1,433	1,349	1,413	2,762
कार्यालय व्यय		78,763	78,763		51,797	51,797
विज्ञापन एवं प्रचार		2,97,398	2,97,398		2,36,998	2,36,998
टेलीफोन प्रभार	282,16,082	-	282,16,082	169,94,472	-	169,94,472
वार्षिक बैठक व्यय	19,99,998	-	19,99,998		-	-
लेखापरीक्षा शुल्क		1,13,738	1,13,738		1,08,873	1,08,873
आन्विक्य		36,000	36,000		30,911	30,911
मर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय		-	-		8,802	8,802
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम व्यय	21,81,617	1,69,002	23,50,619	25,90,106	-	25,90,106
जल एवं विद्युत प्रभार		42,600	42,600		47,340	47,340
सुस्ता एवं सफाई व्यय		10,20,976	10,20,976		8,06,774	8,06,774
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	2,660	2,660	2,660		10,790	10,790
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री	77,668	48,941	1,26,609		18,667	18,667
केयरिंग्स एवं परामर्श प्रभार	56,611	-	56,611	48,82,705	-	48,82,705
बैठक शुल्क खाता		6,68,450	6,68,450		7,83,300	7,83,300
हिंदी पखवाड़ा व्यय		39,000	39,000		39,000	39,000
विविध/जारी व्यय	2,240	2,240	2,240	17,02,233	-	17,02,233
सूचना प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग व्यय		89,011	89,011		5,56,176	5,56,176
कार्यालय फनीचर की मरम्मत एवं रखरखाव		44,494	44,494		1,880	1,880
शोध एवं मूल्यांकन व्यय	15,067	15,067	15,067			
<b>कुल जोड़</b>	<b>369,38,454</b>	<b>47,73,992</b>	<b>416,95,718</b>	<b>296,92,501</b>	<b>51,57,115</b>	<b>348,49,616</b>

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परिचयी खड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूधियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
	अनुसूची 22 -अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय :					
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया सहायतानुदान			-			-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकी			-			-
<b>कुल</b>			-			-

नोट : संस्थाओं के नाम, उनके कार्यकलापों के साथ उनके लिए गए अनुदान/सहायिकी का उल्लेख किया जाए।

अनुसूची 23 - ब्याज :						
क) मियादी जमाओं पर			-			-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रमार सहित)			-			-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
<b>कुल</b>			-			-

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के लेखों से संबंधित अनुसूचियां

अनुसूची - 24

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार :

1. **लेखांकन रीति :**  
वित्तीय विवरण लेखांकन की उचित विधि से तैयार किए गए हैं।
2. **सामान सूची का मूल्यांकन :**  
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
3. **निवेश :**  
"दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं।
4. **स्थायी परिसंपत्तियां :**
  - 4.1 स्थायी परिसंपत्तियां आवक माल भाड़े, शुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।
  - 4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गई स्थायी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।
5. **मूल्यहास :**
  - 5.1 मूल्यहास कंपनी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर दिया जाता है।
  - 5.2 वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यहास यथानुपात आधार पर किया जाता है।
  - 5.3 5000/- रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां पूर्णरूप से दी गई हैं।
  - 5.4 स्थायी परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल लागत के 5% की दर पर किया गया है।
6. **सरकारी अनुदान/सहायिकी :**
  - 6.1 सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।
  - 6.2 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विशिष्ट अनुदेश के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि, जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाई गई है।
7. **पट्टा :**  
पट्टा किराए की राशि पट्टे की शर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।
8. **सेवानिवृत्ति लाभ :**
  - 8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक गणना पर उपाजित की जाती है।
  - 8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उचित किया जाता है और इस परिकल्पना पर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत पर लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं



## वित्तीय विवरण

### केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक के लेखों से संबंधित अनुसूचियां

अनुसूची - 25

#### आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।
2. प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।
3. आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के महैनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
4. पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः वर्गीकृत/पुनर्योजित किया गया है।
5. अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्ता वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं।

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110068

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अग्रिम, 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्मुक्ति की तारीख	राशि	
			गैर-योजना	योजना
1	महानिदेशक, आरसीवीपी नरोहना प्रशासनिक अकादमी, भोपाल	13.11.2006	1,405	
3	भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली	19.8/10.9.2008		6,18,860
4	निदेशक, म.बा.वि., रायपुर	22.08.2008		1,64,320
5	आरसीवीपी नरोहना प्रशासनिक अकादमी, भोपाल	23.03.2010		1,60,320
6	सशोदा, पुणे			55,000
7	निदेशक, म.बा.वि., रायपुर	03.06.2010		1,64,320
8	निदेशक, म.बा.वि., चंडीगढ़	18.06.2010		1,64,320
11	निदेशक, समाज कल्याण, पटना, बिहार	09.02.2011		2,28,396
12	निदेशक, म.बा.वि., आंध्र प्रदेश	24.02.2011		2,48,808
13	निदेशक, समाज कल्याण, रांची	14.07.2011		92,336
14	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02.09.2011		99,704
16	आईसीडीएस, सोसायटी, बैंगलुरु, कर्नाटक	20.10.2011		54,400
19	निदेशक, समाज कल्याण, गुवाहाटी, असम	10.02.2012		90,515
20	कर्नाटक समेकित बाल संरक्षण सोसायटी	25-6-2012		75,400
21	म. बा.वि. चंडीगढ़	10-03-2012		1,06,172
24	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, रांची	29-05-2013		1,00,000
25	निदेशक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	04-06-2013		1,58,000
26	निदेशक, समाज कल्याण, प.बंगाल (सिलीगुड़ी कार्यक्रम)	06.06.2013		1,58,000
27	निदेशक, म.बा.वि. बैंगलुरु	26.06.2013		1,10,017
29	निदेशक, समाज कल्याण, तमिलनाडु, चैन्नई	25-11-2013		1,57,916
31	चैयरमैन, वीसीए हैदराबाद	17-01-2014		36,585
32	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार	28-01-2014		1,01,179
33	निदेशक, समाज कल्याण, प. बंगाल, कोलकाता	25-03-2014		3,03,248
34	निदेशक म.बा.वि., शिमला हिमाचल प्रदेश	26.06.2014		1,63,749
35	निदेशक म.बा.वि., उत्तर प्रदेश (महिला कल्याण समिति)	18.09.2014		1,07,656
36	निदेशक समाज कल्याण पश्चिम बंगाल	28.10.2014		1,58,682
37	निदेशक समाज कल्याण विभाग मिजोरम	14.11.2014		2,28,528
38	निदेशक समाज कल्याण विभाग पटना बिहार	20.11.2014		2,32,986
39	आयुक्त और राज्य बाल सुरक्षा समिति पुणे	16.12.2014		2,37,510
40	निदेशक समाज कल्याण, केरल	09.01.2015		2,33,504
41	निदेशक म.बा.वि., राज्य बाल सुरक्षा समिति पश्चिम बंगाल	27.02.2015		84,460
42	निदेशक, गोवा लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015		1,09,592
<b>कुल</b>			<b>1,405</b>	<b>50,04,483</b>

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम:

कर्मचारी का नाम	बकाया राशि 31.3.2014 तक की स्थिति	बकाया राशि 31.3.2013 तक की स्थिति
<b>क. त्योहार अग्रिम</b>		
श्री प्रमोद कुमार	2250	
श्री रितेश आहूजा, डीईओ	2,250	2,250
श्रीसंजय कुमार, डीईओ	2,250	2,250
श्री देवेन्द्र कुमार	2,250	2,250
श्री रवि रावत, डीईओ	2,250	2,250
श्री सरवन कुमार		2,250
श्री बलजीत सिंह	2,250	2,250
श्री विजय सिंह	2,250	2,250
श्री भगत, चपरासी	2,250	2,250
<b>कुल क</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
<b>ख. कम्प्यूटर अग्रिम :</b>		
श्री बी.के. साहू, उप निदेशक	7,600	12,400
<b>ग. कार अग्रिम :</b>		
श्री बी.के. साहू, उप निदेशक	63,900	74,700
<b>घ. स्कूटर अग्रिम :</b>		
श्री विजय साहू, स्टेनो	21,000	27,000
श्री संजय कुमार, डीईओ	25,000	
श्री रितेश आहूजा, डीईओ	26,000	
<b>घ. अग्रदाय लेखा</b>		
श्रीमती सी सरस्वती, उप निदेशक	78,500	
<b>कुल - ख+ग+घ</b>	<b>2,22,000</b>	<b>1,14,100</b>
<b>कुल योग (क+ख+ग+घ)</b>	<b>2,40,000</b>	<b>1,32,100</b>

वित्तीय विवरण

**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार व्यय हेतु प्रावधान (वर्तमान देयताएं)

गैर-योजना

तारीख	सी.वी. नं.	विवतरण	
			31/3/2015 से
		सुरक्षा एवं सफाई प्रभार	324,856.00
		बैठक शुल्क	93,600.00
		भाड़े पर कार लेने का प्रभाव	102206.00
		<b>कुल</b>	<b>520,662.00</b>

वित्तीय विवरण


**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार व्यय हेतु प्रावधान (वर्तमान देयताएं)

योजना

विवतरण	राशि
पिछले वर्ष का प्रावधान (बकाया)	704546.00
<b>कुल</b>	<b>704546.00</b>





“मैंने आपको तलाशा, यद्यपि मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था और अंततः जब आप हमारे हो गए, तो हमारी जिंदगी को एक नया आयाम मिला। अब हमारा परिवार पूर्ण हो गया है।”



**C A R A**

**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेस्ट ब्लॉक-8, विंग-2, दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

दूरभाष: 91-011-26180194, फ़ैक्स: 91-011-26180198

ईमेल: [carahdesk.wcd@nic.in](mailto:carahdesk.wcd@nic.in), वेबसाइट: [www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in)





## **Central Adoption Resource Authority**

(Ministry of Women & Child Development, Government of India)  
West Block - 8, Wing - 2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110 066  
**Tel:** 91-011-26180194, **Fax No:** 91-011-26180198  
**E mail:** carahdesk.wcd@nic.in, **Website:** www.cara.nic.in